न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 05 / 2022

1 रामकुमार पुत्र गणपतराम
2 सज्जन पुत्र गणपतराम
3 संदीप पुत्र लालचन्द
4 रामकुमार पुत्र नन्दराम
5 रामकिशन पुत्र नन्दराम
6 अम्मीलाल पुत्र नन्दराम
जाति समस्त अहीर निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 बलबीर सिंह पुत्र नेतराम
2 ओमप्रकाश पुत्र नेतराम
3 जिलेसिंह पुत्र नेतराम
4 सुरेन्द्र उर्फ रेवासिंह पुत्र नेतराम
5 चमेली पुत्री नेतराम
6 सुरजी देवी पत्नी नेतराम
जाति समस्त अहीर निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
8 महेन्द्र पुत्र फुलचन्द
9 धन्नी पत्नी फुलचन्द
10 कमलेश पुत्री फुलचन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 सुशीला पुत्री फुलचन्द
12 मुन्नी पुत्री फुलचन्द
13 सरोज पुत्री फुलचन्द
जाति समस्त अहीर निवासीगण शिमला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
14 बाबूलाल पुत्र गब्दूराम
15 विनोद उर्फ साबू पुत्र बाबूलाल
जाति समस्त अहीर निवासीगण बसई (गुड़ाना) तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी
जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी रामकुमार वगै.
बनाम बलबीर सिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 251 ए
आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 26/2017 निर्णय
दिनांक 27.10.2021

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा 26/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस व स्व. फुलचन्द ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955 के तहत पेश किया। दौराने सुनवाई फुलचन्द का देहान्त हो गया। फुलचन्द के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 08 से 13 है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 27.10.2021 के द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955 व राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 69 से 71 को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया। अपीलान्टस व स्व. फुलचन्द की यह प्लीडिंग रही है कि उनके खेत खसरा नम्बर 325, 319, 340 में जाने का रास्ता खेत खसरा नम्बर 339/1 (2518/339) व 341 की मेड़(सीमा) से 10 फुट चौड़ा रहा है और उक्त रास्ते की चौड़ाई 13 फीट करवानी चाही। इस प्रकार अपीलान्टस व स्व. फुलचन्द ने मौजुदा रास्ते को चौड़ा करवाने का अनुतोष विचारण न्यायालय से चाहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जमीन खसरा नम्बर 2518/339 की दक्षिणी सीमा पर पुख्ता मकान, दीवार, तार बाड़ कर रास्ते को बन्द किया। ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय को जमीन खसरा नम्बर 2518/336 की दक्षिणी सीमा से अवरोध हटाकर जमीन खसरा नम्बर 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

2518/339 व खसरा नम्बर 341 की सीमा पर 13 फीट चौड़ा रास्ता कायम करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने तमाम तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलान्टस की प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलान्टस व स्व. फुलचन्द के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टस व स्व फुलचन्द की प्लीडिंग के मुताबिक विचारण न्यायालय ने मौके की जांच नहीं करवाई। कानून से प्लींडिग के मुताबिक मौके की जांच करवाकर या स्वयं पीठासीन अधिकारी निरीक्षण करते। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 343 के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं होना बताकर तथा इस बाबत प्रतिकर स्वरूप राशि की स्वीकारोक्ति नहीं होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। पक्षकार के अभाव में कानून से प्रकरण खारिज नहीं किया जा सकता। कानून से विचारण न्यायालय को निर्णय में दी गई फाईडिंग के मुताबिक जमीन खसरा नम्बर 2518/339 में से चाहा गया रास्ता नहीं दिये जाने की सूरत में खसरा नम्बर 337 व 343 के खातेदारान को पक्षकार बनाकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 13 विचारण न्यायालय के यहां बतौर आवेदकगण पक्षकार थे और वर्तमान मुख्यालय पर उपस्थित नहीं होने से उन्हें बतौर रेस्पोडेन्टस पक्षकार बनाया जा रहा है। अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 को अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर यह निर्देश दिये जावें कि विचारण न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए व राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1955 के नियम 69 के मुताबिक जांच कर खसरा नम्बर 337 व 341 के खातेदारान को पक्षकार बनाकर नियमानुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये खसरा नम्बर 2518/339 के मध्य मेड से खसरा नम्बर 340

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तक जाने के लिए रास्ते की मांग की है। पटवार हल्का शिमला व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया की रिपोर्ट दिनांक 31.12.2019 में खसरा नम्बर 340 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 341 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे, दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 343 की उत्तरी सीमा के दक्षिण व खसरा नम्बर 337 जो मंदिर की भूमि है के पश्चिम दिशा के सहारे रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण ने जिस खसरा नम्बर 2518/339 की भूमि से रास्ते की मांग की गई है उसमें बलबीर पुत्र नेतराम जाति अहीर ने पुख्ता मकान बना रखे है तथा खसरा नम्बर 343 के खातेदार उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 2518/339 में से रास्ते की मांग की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार उसमें बलबीर पुत्र नेतराम जाति अहीर ने पुख्ता मकान बना रखे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि प्रार्थी अपीलांट के पास वैकल्पिक रास्ता होने की रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। विचारण न्यायालय ने उन खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय खसरा नम्बर 2518/339 के संदर्भ में यथावत रखा जाता है परन्तु प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित निकटतम रास्ते के खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर